झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

संकल्प

सं०–2/पी०एम०सी०/NWM-24/2009 (Part-I)..707...........दिनांक – 06/XI/18

विषय : **जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के National Action Plan on Climate Change (NAPCC) के अन्तर्गत "National Water Mission" के झारखण्ड राज्य में समुचित कियान्वयन हेतु State Specific Action Plan (SSAP) on Water Sector तैयार करने के संबंध में।**

1. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National Action Plan on Climate Change के अंतर्गत National Water Mission (NWM) की शुरुआत " Conservation of water, minimizing wastage and ensuring its more equitable distribution both across and within states through integrated water resources development and management " हेतु की गयी है।

2. उपर्युक्त Objectives को प्राप्त करने हेतु National Water Mission (NWM) के द्वारा निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

   2.1 लोक ज्ञान क्षेत्र (Public domain) में जलीय आँकड़ों की बहुआयामी उपलब्धता और जलवायु परिवर्त्तन के कारण जल संसाधनों पर पड़ रहा प्रभाव।

   2.2 जल संरक्षण, आवर्धन और परिरक्षण हेतु लोक और राज्य कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन।

   2.3 अति संवेदनशील क्षेत्र (अति दोहित क्षेत्र सहित) पर विशेष ध्यान।

   2.4 जल उपयोग क्षमता (Water Use Efficiency) में 20% की वृद्धि एवं

   2.5 नदी घाटी प्रक्षेत्र के स्तर पर समेकित जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन।

3. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से National Water Mission (NWM) के अन्तर्गत सभी राज्यों को **State Specific Action Plan (SSAP) on Water Sector** तैयार करने का निदेश दिया गया है एवं इस कार्य हेतु NWM, MoWR (RD & GR) के द्वारा National Institute of Hydrology, Roorkee को Nodal Agency नियुक्त किया गया है।

4. झारखण्ड राज्य द्वारा गठित किये जाने वाले State Specific Action Plan (SSAP) में निम्नांकित तीन मूल तत्व समावेशित किये जायेंगे।

   4.1 राज्य में-जल संसाधन, विकास एवं प्रबंधन का वर्त्तमान परिदृश्य।

   4.2 जल प्रक्षेत्र की कठिनाइयों के निराकरण हेतु सभी पक्षों/विपक्षों सहित संभावित निदान की खोज।

   4.3 National Water Mission (NWM) द्वारा निर्धारित कार्य/रणनीति के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करना।

5. उपर्युक्त SSAP on Water Sector का गठन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड के द्वारा NAPCC के अनुरूप पूर्व में गठित State Action Plan on Climate Change (SAPCC) के साथ लिंक करते हुए किया जाएगा। National Water Mission के द्वारा SSAP on Water Sector गठित करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की गयी है।

6. उक्त प्रस्तावित SSAP on Water Sector के गठन के लिए जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के द्वारा IIT, Dhanbad (पूर्ववर्त्ती ISM, Dhanbad) को नोडल संस्थान नामित किया गया है। जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की ओर से अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल सं०–1, जल संसाधन विभाग, राँची को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

7. SSAP on Water Sector तैयार करने के लिए National Water Mission (NWM), MoWR (RD&GR) GoI के द्वारा झारखण्ड राज्य हेतु रू० 50.00 लाख अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाएगी, जिसके लिए NWM, MoWR (RD & GR) GoI की ओर से नामित Nodal Agency, National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee के साथ निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य की ओर से नोडल विभाग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के द्वारा MOU किया जायेगा। National Water Mission, MoWR (RD & GR) GoI की ओर से NIH, Roorkee के द्वारा प्रस्तावित अनुदान की राशि रू० 50.00 लाख जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के नामित नोडल पदाधिकारी, अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल सं०–1, राँची के अधीन नामित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल सं०–3, जल संसाधन विभाग, राँची के पदनाम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाता के माध्यम से निम्नवत उपलब्ध कराया जायेगा।

Stage	Time Frame (Starting from the date of release of 1st Instalment)	Funds released
Stage-I. Status Report on Water Resource, Availability, Development and Management	Six months	40%
Stage-II. Preparation of Interim Report	Three months	30%
State III. Preparation of State Specific Action Plan	Three months	30% on approval

इसी बचत बैंक खाता से राशि निकासी एवं व्यय की जाएगी। व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

8. SSAP on Water Sector के प्रबोधन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय State SSAP Steering Committee एवं विभाग स्तर पर प्रबोधन हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में SSAP Monitoring Committee गठन किया जायेगा, जिनका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

8.1 राज्य स्तरीय एस०एस०ए०पी० संचालन समिति (State SSAP Steering Committee)

1.	मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।	:	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
11.	अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
12.	SSAP हेतु नामित नोडल संस्थान, IIT, Dhanbad के नामित नोडल पदाधिकारी।	:	सदस्य
13.	मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची।	:	सदस्य
14.	अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल-1, राँची-सह-नोडल पदाधिकारी, SSAPA	:	सदस्य
15.	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची।	:	सदस्य
16.	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, राँची।	:	सदस्य
17.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, राँची।	:	सदस्य
18.	निदेशक, IMD, राँची।	:	सदस्य
19.	निदेशक, NABARD, राँची।	:	सदस्य
20.	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के नामित पदाधिकारी	:	सदस्य

8.2 **State SSAP Steering Committee के कार्य निम्नलिखित होंगे :-**

(i) झारखण्ड State Specific Action Plan (SSAP) on Water Sector के गठन पर नीतिगत सलाह एवं निर्देश देना।

(ii) State Specific Action Plan (SSAP) सूत्रीकरण के कार्यों का निरंतर प्रबोधन।

(iii) State Specific Action Plan (SSAP) के स्टेट्स रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन एवं इसमें सुधार हेतु परामर्श देना।

(iv) State SSAP Steering Committee की बैठक प्रत्येक त्रैमासिक आयोजित की जाएगी।

8.3 **विभागस्तरीय SSAP Monitoring Committee**

1.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	अध्यक्ष
2.	अभियंता प्रमुख–1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
3.	अभियंता प्रमुख–2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
4.	SSAP हेतु नोडल संस्थान, IIT, Dhanbad के नामित नोडल	:	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, राँची।	:	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता, योजना, आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची।	:	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल सं०–1, राँची–सह–नोडल पदाधिकारी, SSAP, जल संसाधन विभाग, राँची।	:	सदस्य सचिव
8.	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची।	:	सदस्य
9.	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के नामित पदाधिकारी।	:	सदस्य
10.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के नामित पदाधिकारी।	:	सदस्य
11.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के नामित पदाधिकारी।	:	सदस्य
12.	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, राँची।	:	सदस्य
13.	निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, राँची।	:	सदस्य
14.	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के नामित सदस्य।	:	सदस्य

8.4 **SSAP Monitoring Committee का कार्य निम्नवत् होगा –**

(i) State Specific Action Plan (SSAP) on Water Sector के प्रारूपण हेतु Core Drafting Committee का गठन करना तथा राज्य नोडल पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना।

(ii) SSAP प्रारूपण के प्रगति की नियमित समीक्षा करना।

(iii) SSAP के लिए गठित State Level Steering Committee को अद्यतन स्थिति एवं आवश्यक जानकारी से अवगत कराना।

(iv) SSAP के स्टेटस रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन तथा इसमें उचित सुधार हेतु परामर्श देना।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2 / पी०एम०सी० / NWM-24/2009 (Part-I)......767......... राँची / दिनांक –06/XI/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2 / पी०एम०सी० / NWM-24/2009 (Part-I)......767......... राँची / दिनांक –06/XI/18

प्रतिलिपिः–सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2 / पी०एम०सी० / NWM-24/2009 (Part-I)......767......... राँची / दिनांक –06/XI/18

प्रतिलिपिः–Mission Director, NWM, MoWR, RD&GR, GoI, 2nd Floor, Block-III, CGO complex, Lodhi Road New Delhi-110003 / Advisor (C&M), MoWR, RD & GR, GoI, National Water Mission, 2nd Floor, Block-III, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110003/ Director, National Institute of Hydrology, Roorkee, Jal Vigyan Bhawan, Roorkee, Uttarakhand-247667 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2 / पी०एम०सी० / NWM-24/2009 (Part-I)......767......... राँची / दिनांक –06/XI/18

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / Prof. S.K. Gupta, HOD/ESE (CD), Department of Environmental Science and Engineering (Centre of Mining Environment), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad/ Dr. Alok Sinha, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad (Mobile No-91-9471518560, e-mail:-aloksinha11@yahoo.com) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2 / पी०एम०सी० / NWM-24/2009 (Part-I)......767......... राँची / दिनांक –06/XI/18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2/पी०एम०सी०/NWM-24/2009 (Part-I)......707........ राँची/दिनांक –06/XI/18
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2/पी०एम०सी०/NWM-24/2009 (Part-I)......707........ राँची/दिनांक –06/XI/18
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

ज्ञापांक :–2/पी०एम०सी०/NWM-24/2009 (Part-I)......707........ राँची/दिनांक –06/XI/18
प्रतिलिपिः–वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।